प्रेस विज्ञप्ति

11.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने 09.09.2024 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत मुंबई और कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर एक्सिस म्यूचुअल फंड के संबंध में फ्रंट रनिंग बिजनेस के मामले में चल रही जांच के तहत तलाशी अभियान चलाया है। । तलाशी अभियान के दौरान, विदेशी मुद्राओं (जीबीपी/यूरो/एईडी) के रूप में 12.96 लाख रुपये की चल संपत्ति मिली। विदेशी अचल संपत्तियों, विदेशी बैंक खातों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरणों पाए गए और जब्त कर लिए गए।

ईडी ने सेबी द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आधार पर वीरेश जोशी और अन्य के खिलाफ लगभग30 . 56करोड़ रुपये गलत तरीके से लाभ कमाने के आरोप लगाते हुए जांच शुरू की है। फ्रंट रनिंग एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग प्रतिभूति बाजार में उस प्रथा का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां एक दलाल या व्यापारी अपने ग्राहकों से लंबित आदेशों की अग्रिम जानकारी का लाभ उठाते हुए अपने स्वयं के खाते के लिए सुरक्षा पर ऑर्डर निष्पादित करता है। इस प्रथा को अनैतिक और अवैध माना जाता है, क्योंकि यह बाजार की अखंडता को कमजोर करता है और अन्य निवेशकों को नुकसान पहुंचाता है।

ईडी की जांच के दौरान, ऐसे सबूत मिले हैं जो फ्रंट रनिंग घोटाले में चल रहे तौर-तरीकों को उजागर करते हैं। इस मामले में, वीरेश जोशी कथित तौर पर दुबई में टर्मिनल वाले दलालों से रिश्वत के बदले में बाजार-संवेदनशील जानकारी साझा कर रहे थे, जो उनके निर्देशों पर व्यापार को अंजाम दे सकते थे।
उन्होंने भारत में स्थित कुछ अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं से भी संपर्क किया जो अपने व्यापारिक खातों को किराये के आधार पर उधार दे सकते थे। उक्त व्यापार के माध्यम से उत्पन्न अवैध लाभ वीरेश जोशी द्वारा उक्त दलालों से नकद में प्राप्त किया गया था। इसके अलावा, वीरेश जोशी ने उक्त नकदी को कई फर्जी संस्थाओं के बैंक खातों में भेजने के लिए कोलकाता स्थित ऑपरेटरों का इस्तेमाल किया, जिसके बदले में वीरेश जोशी, उनके परिवार के सदस्यों और उनके स्वामित्व वाली फर्मों/कंपनियों को असुरक्षित ऋण दिए गए। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि फ्रंट रनिंग से प्राप्त उक्त अवैध लाभ का उपयोग यूके में अचल संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया था। दो ऐसी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज मिले हैं जिनके लिए 14 करोड़ रुपये की रकम विदेश भेजी गई थी। यह भी पाया गया है कि दुबई में मेसर्स विंटेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एलएलसी और यूके में मेसर्स विंसेंट कैपिटल होल्डिंग लिमिटेड जैसी विदेशी संस्थाओं को इन फंडों के साथ शामिल किया गया था और उन खातों में 12 करोड़ रुपये की नाजायज कमाई जमा की गई थी। फंड का उपयोग एफडी बनाने और भारत में संपत्ति खरीदने के लिए भी किया गया था। आगे की जांच जारी है।